

आदेश पत्रक

न्यायालय: उपजिलाधिकारी  
मण्डल: मुरादाबाद, जनपद: अमरोहा, तहसील: अमरोहा  
वाद संख्या: -00882/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या: -1201913380100882

एम0क्यू0चिल्डन एजुकेशनल सोसायटी खैयया माफी द्वारा प्रबन्धक शमशुल कमर बनाम लेखपाल

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

अस्तु तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 4.02.2019 स्वीकार की जाती है। एस0क्यू चिल्डन एजुकेशनल सोसायटी खैयया माफी/अमरोहा द्वारा प्रबन्धक शमशुल कमर पुत्र मौ0 यामीन निवासी ग्राम कालाखेडा उर्फ कलालखेडा तहसील व जनपद अमरोहा की भूमि स्थित ग्राम डिडौली के खाता सं0 81 गाटा सं0/रकबा 529/0.409 है0 व 530/0.364 है0 कुल दो किते कुल रकबा 0.773 है0 भूमि को लगान मुक्त करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि/आबादी घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की सत्यप्रति उप निबन्धक अमरोहा के कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 20.02.2019

20/02/19  
(सुखवीर सिंह)

उपजिलाधिकारी, अमरोहा।



सत्य प्रामाण्य

27/2/19  
अमरोहा



27/2  
दिनांक 20/2/19  
सत्य प्रामाण्य  
अमरोहा

अमरोहा